(Authoritative English text of Government Notification No. Agr.- A(3)-5/2005, dated 02-02-2012as required under Article 348 (3) of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh Department of Agriculture

No. Agr A(3)-5/2005

Dated Shimla-2, the 02-02-2012

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P.Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Divisional Engineer(Soil Conservation) Class-, I (Gazetted) in the Department of Agriculture, HP as per Annexure-A attached to this notification, namely :-

Short title and . Commencement

These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Agriculture, Divisional Engineer (Soil Conservation), Class-I (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2012.

(ii)

1

(i)

These rules shall come into force from the date of their publication in Rajpatra, HP.

By Order,

Addl. Chief Secretary (Agr.) to the Government of Himachal Pradesh Endst. No.: As above. Dated Shimla-2, Copy is forwarded to the following:-02-92-2012 All the Administrative Secretaries to the Govt. of HP, Shimla-2 1.

2. The Controller, P&S, Shimla-5 for publication in the Rajpatra.

3.

The Assistant Legislative Draftsman (English), HP Sectt. Shimla-2. 4. The Director of Agriculture, H.P., Shimla-5

Deputy Secretary (Agr.) to the

Government of Himachal Pradesh

Annexure-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DIVISIONAL ENGINEER(SOIL CONSERVATION) IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE.

4.	Name of the post	Divisional Engineer(Soil Conservation)
5.	Numbers of posts	3 (Three)
6.	Classification	Class-I (Gazetted)
4.	Scale of Pay :	₹ 10300-34800 + ₹ 5000 Grade Pay

 Whether selection post or Non-selection post
 Age for direct recruitment.

Not applicable

Not applicable.

Not applicable.

- Minimum Education and other qualification required for direct recruits
- Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.

9.

7

8.

Period of probation, if any.

Age: Not applicable. Educational Qualification : Not applicable

Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.

In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation /transfer is to be made. 100 % by transfer.

By transfer from amongst the incumbents of the post of Sub-Divisional Soil Conservation Officers/ Assistant Soil Conservation Officers(strictly in order of seniority and subject to fitness) possessing the qualification of B.Sc.(Agr. Engineering)/B. Tech.

11

10

Engineering/ (Agriculture Engineering) B.E(Agr. /B.E.(Civil Engineering) /AMIE Agriculture/Civil in Engineering from recognized University with three years or regular regular service with continuous combined adhoc service rendered if any, in the grade.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal /Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-I:- For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation-II:- For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti.

- 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
- 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
- 4. Pandrah Bis Pargana,

Munish Darkali and Gram Panchayat Kasapat, Gram Panchyats of Rampur Tehsil of District Shimla.

- 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
- Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
- 7. District Kinnaur.

- 3 - -

- 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil. Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
- 9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Sidh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil. Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc services rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P rules; provided that in all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R&P rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservations of vacancies in Himachal State Non-Technical services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provision of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservations of vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of R&P rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

- 12. If a departmental promotion committee, exists, what is its
- composition
 13. Circumstances under which the HP PSC is to be consulted in making recruitments.
 14. Essential requirement for a direct recruitment.
- 15. Selection for appointment to post by direct recruitment.

16. Reservation

Not applicable.

As required under the Law.

Not applicable.

Not applicable.

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes /other Backward Classes/ other categories of persons

issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

Every member of the service shall pass departmental examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules,1997 as amended from time to time.

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so it may, by order, for reasons, to be recorded in writing and in consultation with the HP PSC, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

17.

18. Power to relax.

Departmental ·

Examination

हिमाचल प्रदेश सरकार कृषि विभाग ।

संख्या : एग्र-ए (3)-5/2005

शिमला -2 02 जत्वरी,2012

अधिसूचना

तारीख

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में मण्डल अभियन्ता (भू—संरक्षण), वर्ग—I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध— "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम 1 (i) और प्रारम्भ ।

इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, मण्डल अभियन्ता (भू-संरक्षण),वर्ग–I (राजपत्रित)भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है । ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य ्सचिव (कृषि)

हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्याः एग्र–ए (3)-5/200 तारीख शिमला–.2, **०२ प्लप्**वरी,2012 प्रतिलिपिः

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–2 ।
- सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला–2 को उनके पत्र संख्याः 1–6 / 98– पी एस सी–पार्ट दिनांक 19–12–2011 के संदर्भ में।
- विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन),हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–2 को दैनिकी संख्या : 610 दिनांक 06–01–2012 के संदर्भ में ।
- नियन्त्रक, मुद्रण एव लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु ।
- सहायक विधायी प्रारूपकार (हिन्दी) हि0 प्र0 सचिवालय शिमला–2
- निदेशक कृषि, हिमाचल प्रदेश, शिमला—5.

(ii)

उप सचिव (कृषि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

उपाबन्ध – "क"

हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में मण्डल अभियन्ता (भू-संरक्षण), वर्ग-1 (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1	पद का नाम :	मण्डल अभियन्ता (भू–संरक्षण)	
2	पदों की संख्या :	3 (तीन)	
3	वर्गीकरण :	वर्ग—I (राजपत्रित)	
4	वेतनमानः	10300-34800 रूपए जमा ह	000 रत्तपए

ग्रेड पे

चयन पद अथवा अचयन पद : लागू नहीं ।

सीधी भर्ती के लिए आयु : लागू नहीं ।

the second s	
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले	लागू नहीं ।
व्यक्तियों के लिए अपेक्षित	
न्यूनतम शैक्षिक और अन्य	
अर्हताएं :	
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले	आयुः लागू नहीं ।
व्यक्तियों के लिएं विहित आयु	शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं ।
और शैक्षिक अर्हताए प्रोन्नत	
व्यक्तियों की दशा में लागू	
होगी या नहीं :	
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी
कोई हो :	और अवधि के लिए विस्तार किया जा
	सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष
	परिस्थितियों में और लिखित कारणों से
	आदेश दे।
10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी	शतप्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा ।
होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,	
स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न	
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले	
पदों की प्रतिशतता :	
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,	उप मण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारियों/
स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां	सहायक भू-संरक्षण अधिकारियों जो किसी
जिनसे प्रोन्नति/	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी.
प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण	(कृषि इंजीनियरिंग) / बी.टेक (कृषि)
किया जाएगाः	इंजीनियरिंग)/बी.ई.(कृषि इंजीनियरिंग)/
	बी.ई. (सिविल इंजीनियरिंग) / कृषि में ए.
	एम.आई.ई. / सिविल इंजीनियरिंग की
	शैक्षिक अर्हताएं रखते हों, के पद के
	पदधारियों में से(सर्वथा वरिष्ठता एव
	उपयुक्तता के अध्यधीन) स्थानान्तरण

द्वारा,जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा के सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारियों का, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण —I :— उपर्युक्त परन्तुक I के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में कार्यकाल से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को घ्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती और इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण – II उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होगे :--

1 जिला लाहौल एव स्पिति ।

2 चंबा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल ।

3 रोहडू उप मण्डल को डोडरा क्वार क्षेत्र ।

4 जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।

5 कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।

6 कॉगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र ।

7 जिला किन्नौर ।

8 सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगबा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़–भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त ।

मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल—बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गुसैणी, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रेला, रोपा, कथोग, सिल्ह—भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग, तहसील के चियुणी, कालीपार, मानगढ़ थाच—बगड़ा उत्तरी मगरु पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक(पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण :-- अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोलन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1972 के नियम--3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्स्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज,1985 के नियम--3 के उपबन्ध के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाम दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक)पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समि विद्यमान हो तो उसकी संरचना :	ते लागू नहीं ।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियो में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा :	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा ।	लागू नहीं ।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	लागू नहीं ।

		सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकाः द्वारा
× .	16. आरक्षणः	समय-समय पर अनुसूचित जातियों /
	ell a constant a const	अनुसूचित जन-जातियों / अन्य पिछडे वर्गों
		अनुसूचित जन-जातिया / जन्म ने उपन
V .		के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत
		जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
	17. विभागीय परीक्षाः	सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय—समय पर
		यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा
		नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा
		उर्तीण करनी होगी ।
		उताज करना हाना ।
	18. शिथिल करने की शक्ति :	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा
		करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह
		कारणों को लिखित में अभिलिखित करके तथा
		हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श
CA		से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्ध
X,		(धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (यों) के प्रवर्ग
-14	,	(धा) का किसा का या व्यापत (पा) के प्रवन
	3	या पद (दों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।
	L	